

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, रायबरेली

संख्या- 104/2026.

दिनांक-17.09.2026

(प्रशासनिक अनुभाग)
विज्ञापित

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 14/एडमिन 'डी' सेक्शन दिनांकित 15.10.2022 के अनुपालन में जनपद न्यायालय से सेवानिवृत्त कर्मचारीगण में से जनपद न्यायालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष पुनर्नियुक्ति किये जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त के अनुक्रम में रायबरेली जजशिप में आशुलिपिक के रिक्त पदों पर उ0प्र0 के जनपद न्यायालयों से दिनांक 31.08.2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले आशुलिपिकगण को एक वर्ष तक अथवा पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती के माध्यम से पर्याप्त रिक्ति के भरे जाने तक अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो पहले हो, पुनर्नियुक्ति किये जाने हेतु विज्ञापित निर्गत की जाती है।

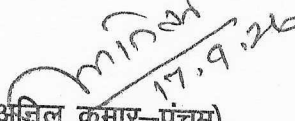
उक्त के अनुक्रम में पुनर्नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप (संलग्न) पर आवेदक अपना आवेदन-पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, व स्वस्थता प्रमाण-पत्र तथा जनपद न्यायालय में पूर्व नियुक्ति एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों के साथ दिनांक 28.09.2026 को सायं 05.00 बजे तक, जनपद न्यायालय, रायबरेली के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय एवं तिथि के पश्चात प्राप्त हुए आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

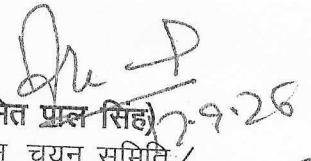
पुनर्नियुक्ति हेतु साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। अभ्यर्थी दिनांक 30.09.2026 को साक्षात्कार हेतु प्रातः 10 बजे जनपद न्यायालय परिसर में स्थित प्रशासनिक कार्यालय में उपस्थित होंगे। साक्षात्कार हेतु उपस्थित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

उक्त पदों का वेतनमान आवेदक द्वारा सेवा निवृत्ति के ठीक पूर्व अंतिम धारित पद पर मिलने वाले अन्तिम आहरित वेतन (भत्तों को छोड़कर) जिसमें से पेंशन की राशि घटाकर मानदेय के रूप में देय होगा। अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश शासन के यथा संशोधित आदेशों के अधीन प्रदान किये जायेंगे।

यह पुनर्नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश-निर्देश के अधीन होगी।

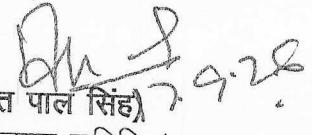

(तरुणिमा पाण्डेय)
सदस्य, चयन समिति/
प्रथम अपर सिविल जज
(सी0डि0)/ए.सी.जे.एम.,
रायबरेली।
17.09.2026


(अनिल कुमार-पंचम)
सदस्य, चयन समिति/
प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश,
रायबरेली।
17.09.2026


(अमित प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष, चयन समिति/
जनपद न्यायाधीश,
रायबरेली।
17.09.2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय रायबरेली सूचना की प्रति को जनपद न्यायालय, रायबरेली एवं कलेक्ट्रेट, रायबरेली के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराया जाना व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करें।
- 2- सिस्टम आफिसर, रायबरेली को निर्देशित किया जाता है कि इस विज्ञापित को रायबरेली जजशिप के वेबसाइट एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 3- जिला सूचना अधिकारी, रायबरेली को इस आशय से प्रेषित हो कि निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।


(अमित प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष, चयन समिति/
जनपद न्यायाधीश,
रायबरेली।
17.09.2026